राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(06)गृह–1/2016 पार्ट — जयपुर, दिनांक 05 NOV 2019

–: आदेश :–

राज्य सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में पुलिस थानों में पदस्थापित मुख्य आरक्षी (हैड कान्स्टेबल) को भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों में उन अपराध, जिनमें अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड का प्रावधान हो, में अनुसंधान करने हेतु एतद् द्वारा अधिकृत करती है।

Sd/-
(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक रेंज,..............................।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर..............................
5. पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक..................................।
6. राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, गृह विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

5/11/19
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस